ल नंबर ...नय उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

2/236/22

तारीख रजू...

अधिवक्ता

चरणसिंह बनाम रामहंस वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.08.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, प्रक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है किं आराजी खसरा नं. 116,वाके बहतुखुर्द तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात पर रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 22.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 22.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
22/9/22	वकील प्रार्थी ... उपस्थित सायिक आदेश दिनांक ... की पालना में पत्रा. को वास्ते ... कराने को ... दिनांक 12/12/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर … जो इस …
12.12.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित वकील प्रार्थी अपने प्रा० पत्र प्रकरण को और चलाना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने प्रार्थना-पत्र को Not Press कर दिया है। अतः प्रार्थी को प्रार्थना-पत्र मय रिपोर्ट वकील प्रार्थी के Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली में [illegible] होकर [illegible] को बाद में बाद तकमील [illegible] [illegible] सर्किल रहे। सुनाया	
Not Press 12.12.22	उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	